



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072025-264435
CG-DL-E-07072025-264435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2951]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2025/आषाढ़ 16, 1947

No. 2951]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2025/ASHADHA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025

का.आ. 3018(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंध आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पर लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध नीरज काकड़ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की समादत्त पूँजी के तीस प्रतिशत से अधिक की रकम के उसके शेयर धारण करने से संबंधित है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी और 7 जुलाई, 2030 की समाप्ति पर प्रवृत्त नहीं रह जाएगी, सिवाय उन बातों के जो ऐसी समाप्ति पूर्व की गई हैं या जिनका लोप हो गया है।

[फा. सं. 7/57/2019-बीओए-1]

आशीष माधवराव मोरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2025.

S.O. 3018(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the IDFC First Bank Limited, in so far as they relate to its holding shares of an amount exceeding thirty per cent. of the paid-up capital of Niraj Kakad Constructions Private Limited.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall cease to operate at the expiration of the 7th day of July, 2030, except as respects things done or omitted to be done before such cesser.

[F. No. 7/57/2019-BOA-I]

ASHISH MADHAORAO MORE, Jt. Secy.